

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति ज्वागिल सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

शिव बिड़की नेवल आवासीय ज्योत्सना

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 99 दिनांक 21/05/2019

प्राधी फरीद मोहम्मद डाठ जी जधपुर खां
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 राज्य के चुकुरे के सामने

भाग 103 (7) (घ) के तहत आवासीय पाल रोड जोधपुर

भवन निर्माण हेतु धानधित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 22519/- जमा है।

जतिमे रसीद संख्या 1028/417, 418

दिनांक 21/05/2019 को जमा करा दी है।

यशवीर

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

स. रमेश चन्द्र

9414913142